MADHYA PRADESH ACT
NO. 22 OF 1996

THE GWALIOR VYAPAR MELA PRADHIKARAN ADHINIYAM, 1996

TABLE OF CONTENTS

Sections :

1. Short title, extent and commencement.
2. Definitions.
3. Constitution of Gwalior Trade Fair Authority.
4. Removal of Member of Authority.
5. Officers and other employees of the Authority.
6. Management and Control of the Trade Fair.
7. Levy of Rent by the Authority.
8. Power of grant License.
9. Power to remove persons from trade fair area.
10. Fund of the Authority.
11. Annual Report.
12. Penalties.
13. Immunity of Members.
14. Power to frame bye-laws.
15. Power to make rules.
16. Repeal.

MADHYA PRADESH ACT

No. 22 of 1996

THE GWALIOR VYAPAR MELA PRADHIKARAN ADHINIYAM, 1996.

(Received the assent of the Governor on the 28th December 1996; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extraordinary)", dated the 30th December, 1996)

An Act to provide for the better management and control of the Gwalior Trade Fair.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Forty-seventh Year of the Republic of India as follows :-

1. (1) This Act may be called the Gwalior Vyapar Mela Pradhikaran Adhiniyam, 1996. — Short title and commencement

(2) It extends to such area as may from time to time be defined by the State Government by notification as Gwalior Trade Fair area.

(3) It shall come into force on such, date as the State Government may, by notification, appoint.

2. In this Act, unless the context otherwise requires - — Definitions

(i) "Authority: means the Gwalior Trade Fair Authority constituted under Section 3.

(ii) "Trade Fair" means trade, industrial, agricultural, cattle fairs or any other fair as may be specified by the state Government from time to time held at Gwalior trade fair area.

3. (1) The State Government shall constitute a body to be called as "the Gwalior Trade Fair Authority" to manage and control the trade fair. — Constitution of Gwalior Trade Fair Authority.

(2) The Gwalior Trade Fair Authority shall have a perpetual succession and a common scale and shall sue and be sued by the said name.

(3) The Authority shall consist of the following members, namely :-

(i) The Minister incharge of the Commerce and Industry Department of the State or a person nominated by the State Government who shall be the Chairperson;

[1][(ii) a person nominated by the State Government who shall be the Vice-Chairperson;

(ii-a) Commissioner, Gwalior Division, Gwalior]

(iii) a representative of Commerce and Trade ;

(iv) a representative from the field of Arts and Culture;

(v) a representative of Industry;

(vi) The member of the House of People representing the constituency which wholly or partly falls within the Trade Fair Area;

(vii) The Member of the Legislative Assembly representing the consistency which wholly or partly falls within the Trade Fairs area;

(viii) The Mayor of Municipal Corporation, Gwalior;

(ix) The President of the Zila Panchayat, Gwalior

(x) one representative of the Trade Fair Authority of India, New Delhi;

(xi) The Collector, Gwalior;

[2][(xii) The Zonal Industries Officer, Gwalior who shall be the Secretary;

(xiii) The General Manager, District Industries Center, Gwalior];

(xiv) Three social workers from different fields.

[3][(xv) the Inspector General of Police, Gwalior]

(4) All non-official members shall be nominated by the State Government and shall hold office for a term of three years from the date they assume charge.

(5) No act or proceedings of the Authority shall be invalid merely on the grounds of the existence of any vacancy in or any defect in the constitution of the Authority.

(6) The non-official members shall be paid such travelling and duly allowances as may be prescribed.

Removal of Member of Authority

4. If in the opinion of the State Government the continuance of any member in the Authority is undesirable it shall be open to the Government to remove such member from the Authority without assigning any reasons therefor.

---

1. Subs. by Act 35 of 1997, the word "Commissioner, Gwalior Division Gwalior or" omitted from clause (ii) and ins. of new clause (ii-a) (w.e.f. 02.09.1997)
2. Subs. by Act 35 of 1997, the word "who shall be the secretary" omitted from clause (xiii) and , the word "who shall be the secretary" added in clause (xii) (w.e.f. 02.09.1997)
3. Ins. by Act 35 of 1997 (w.e.f. 02.09.1997)

5. (1) The authority may appoint such number of officers and employees as may be necessary for the efficient performance of its functions. *Officers and other employees of the Authority*

(2) The salaries and allowances payable to and the other terms and conditions of the officers and other employees appointed for the purpose of the authority shall be such as may be prescribed.

6. As soon as the Authority constituted by that State Government under Section 3, the management and control of the Gwalior Mela and the assets and liabilities, if any, of the Gwalior Mela Committee managing the Gwalior Mela at the time of constitution of the Authority together with all funds, if any, shall pass on and be vested in the Authority. *Management and control of the Trade Fair*

7. Not withstanding anything contained in the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act. 1956 (No. 23 of 1956) or any other law for the time being in force in the trade fair area, the Authority may, during the period of the trade fair which shall be notified by the State Government in the Gazette, levy such rent for the land comprised in the said area as may be specified in the bye-laws to be framed by the Authority with the approval of the State Government. *Levy of Rent by the Authority*

8. The Authority may prescribe fees on payment of which and conditions subject to which any person or class of person may be licensed to ply any profession, trade or calling in the trade fair during the period of trade fair. *Power to grant licence*

9. If any officer specially empowered in this behalf by the Authority is satisfied that any person occupying any stall or space in the trade fair area is in unauthorized occupation of the stall or space or continues to occupy the stall or space after authority to occupy has ceased, he may, with previous sanctioned of the Authority, require such person to vacate the stall or space within such time as may be mentioned in the requisition and such person may, in addition to any penalty to which he may be liable under this Act, be summarily removed from the stall or space. *Power to remove persons from Trade Fair area*

10. (1) All moneys realized by or income accruing to the Authority shall be credited to a Fund to be called the "Gwalior Trade Fair Authority Fund". *Fund of the Authority*

(2) The Fund shall not be utilized for any purpose other than that of the Trade Fair.

(3) The moneys of the Fund shall be deposited either in a Scheduled Bank or a Co-operative Bank at Gwalior.

(4) The Fund shall be operated under the signature of the Secretary of the Authority or such other officer authorized in this behalf by the Chairperson.

(5) The Authority shall maintain proper accounts and other relevant records and prepare an annual statement of accounts as may be prescribed.

(6) The accounts of the Authority shall be audited in the prescribed manner.

11. The Authority shall prepare in such from and by such date for financial year, as may be prescribed, its annual report giving full accounts its activities during the previous financial year are forwarded a copy thereof to the State Government. Annual Report

12. Any person who - Penalties

(a) makes any unauthorized construction within the trade fair area; or

(b) uses unauthorizedly any place within the trade fair area as latrine, urinal or rubbished dumps; or

(c) plies any profession, trade or calling within the trade fair area without a license obtained from the Authority or commits a breach of the condition of such license; or

(d) contravenes any of the provisions of the Act or any rules made thereunder; or

(e) disobeys any order or directions in writing lawfully issued under this act;

shall be punishable on conviction with a fine which may extend to five thousand rupees and where the offence is continuing or recurring one with a further fine which may extend to rupees one hundred for every day after the date of first conviction during which the offender is proved to have persisted in such offence.

13. No Suit or other legal proceedings shall be brought against any member of the Authority for any act done or purported to have been done by him in good faith in the performance of his duties as such member nor shall he be personally liable for any act or omission of the said Authority. Immunity of members

14. The Authority may, with the approval of the Government from time to time, frame bye-laws for regulating its Power of frame bye-laws

procedure or for management and control of the fair or for levying any fee or other charges.

15. (1) The State Government may be notification in the Official Gazette, make rules for carrying out the provision of this Act. Power to make rules

(2) In particular and without prejudice to he generality of the foregoing powers, such rules may provide for all or any of the following matters, namely :-

(a) travelling and daily allowance payable to the non-official members;

(b) salaries and allowance payable to the officers and other employees and other terms and condition of their service;

(c) sanitation in the mela area;

(d) to provide safeguard against the out break or spread of fire;

(e) providing for the safety of building and structures set-up in the trade fair area and of articles brought into the fair;

(f) prescribing conditions subject to which huts and other structures may be constructed including limits to the height of such huts or structures and the area on which they are to be built and distances between them;

(g) restricting the use of fires for cooking or for any other purpose;

(h) any other matter which is required to be or may be prescribed.

(3) Every rule made under this Act shall be laid as soon as may be after it is made before the Legislative Assembly.

16. On and from the date of commencement of this Act, Qawad Mela Va Numaish Gwalior, 1934 and any other law for the time being inforce on the subject shall stand repealed. Repeal

---

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक 22, सन् 1996

ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण, 1996

विवरण तालिका

अनुभाग :

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ
2. परिभाषाएं
3. ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण का गठन
4. प्राधिकरण के सदस्य का हटाया जाना
5. प्राधिकरण के अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी
6. व्यापार मेले का प्रबंध तथा नियंत्रण
7. प्राधिकरण द्वारा किराये का उद्ग्रहण
8. अनुमति मंजुर करने की शक्ति
9. व्यापार मेला क्षेत्र से व्यक्तियों को हटाने की शक्ति
10. प्राधिकरण की निधि
11. वार्षिक रिपोर्ट
12. शास्तियां
13. सदस्यों की इम्युनिटी
14. उपविधियां विरचित करने की शक्ति
15. नियम बनाने की शक्ति
16. निरसन

मध्यप्रदेश अधिनियम
क्रमांक 22, सन् 1996

ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण, 1996

[दिनांक 28 दिसम्बर, 1996 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई ; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक 30 दिसम्बर, 1996 को प्रथम बार प्रकाशित की गई]

ग्वालियर व्यापार मेला के बेहतर प्रबंध तथा नियंत्रण के लिए उपबंध करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के सैतालीसवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो :-

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण अधिनियम, 1996 है. — संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ

(2) इसका विस्तार ऐसे क्षेत्र में होगा, जो राज्य सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा, समय-समय पर ग्वालियर व्यापारिक मेला क्षेत्र के रूप में निश्चित किया जाए.

(3) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा, जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे.

2. इस अधिनियम में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, - — परिभाषाएं

(एक) "प्राधिकरण" से अभिप्रेत है, धारा 3 के अधीन गठित किया गया ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण ;

(दो) "व्यापार मेला" से अभिप्रेत है, ग्वालियर व्यापार मेला क्षेत्र में आयोजित होने वाला व्यापार, औद्योगिक, कृषि, पशु मेला या कोई अन्य मेला, जिसे राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाए.

3. (1) राज्य सरकार, व्यापार मेला के प्रबंध तथा नियंत्रण के लिए ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण के नाम से एक निकाय का गठन करेगी. — ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण का गठन

(2) ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण का शाश्वत उत्तराधिकारी होगा तथा उसकी एक सामान्य मुद्रा होगी और वह उस नाम से वाद ला सकेगा तथा उस पर वाद लाया जा सकेगा.

(3) प्राधिकरण में निम्नलिखित सदस्य होगें, अर्थात :-

(एक) राज्य के वाणिज्य एवं उद्योग विभाग का प्रभारी मंत्री अथवा राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई व्यक्ति जो अध्यक्ष होगा ;

[1][(दो) राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित एक व्यक्ति जो उपाध्यक्ष होगा ;

(दो-क) आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर] ;

(तीन) वाणिज्य तथा व्यापार का एक प्रतिनिधि ;

(चार) कला एवं संस्कृति क्षेत्र से एक प्रतिनिधि ;

(पांच) उद्योग का एक प्रतिनिधि ;

(छह्) लोक सभा का एक ऐसा सदस्य, जो कि व्यापार मेला क्षेत्र में पूर्णत: या भागत: पड़ने वाले संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है ;

(सात) विधानसभा का एक ऐसा सदस्य, जो कि व्यापार मेला क्षेत्र में पूर्णत: या भागत: पड़ने वाले विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है ;

(आठ) नगरपालिक निगम, ग्वालियर का महापौर ;

(नौ) जिला पंचायत, ग्वालियर का अध्यक्ष ;

(दस) भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण, नई दिल्ली का एक प्रतिनिधि ;

(ग्यारह) कलेक्टर, ग्वालियर ;

[2][(बारह) आंचलिक (जोनल) उद्योग अधिकारी, ग्वालियर, जो सचिव होगा ;

(तेरह) जिला उद्योग केंद्र, ग्वालियर का महाप्रबंधक] ;

(चौदह) विभिन्न क्षेत्रों में के तीन सामाजिक कार्यकर्ता ;

[3][(पंद्रह) पुलिस महानिरीक्षक, ग्वालियर]

---

1. क्रमांक 35 सन् 1997 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, 'आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर या' वाक्यांश को धारा (दो) से विलोपित किया गया और नई धारा (दो-क) जोड़ी गयी (दिनांक 02.09.1997 से प्रभावी)
2. क्रमांक 35 सन् 1997 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, 'जो सचिव होगा' वाक्यांश को धारा (तेरह) से विलोपित किया गया और 'जो सचिव होगा' वाक्यांश को धारा (बारह) में जोड़ा गया (दिनांक 02.09.1997 से प्रभावी)
3. क्रमांक 35 सन् 1997 द्वारा जोड़ा गया (दिनांक 02.09.1997 से प्रभावी)

(4) समस्त अशासकीय सदस्य, राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएगें और वह उस तारीख से, जिसको कि वह पदभार ग्रहण करता है, तीन वर्ष की अवधि के लिए पदधारण करेगा.

(5) प्राधिकरण को कोई कार्य या कार्यवाहियां केवल इस आधार पर अविधिमान्य नहीं होगी कि प्राधिकरण में कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है.

(6) अशासकीय सदस्यों को ऐसे यात्रा तथा दैनिक भत्तों का संदाय किया जाएगा जैसा कि विहित किया जाए.

प्राधिकरण के सदस्य का हटाया जाना

4. यदि राज्य सरकार की राय में प्राधिकरण में किसी सदस्य का बना रहना अवांछनीय है, तो राज्य सरकार को इस बात की स्वतंत्रता होगी कि वह ऐसे सदस्य को, उसके लिए कोई कारण बताए बिना, हटा दे.

प्राधिकरण के अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी

5. (1) प्राधिकरण उतनी संख्या में अधिकारियों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकेगा, जो कि उसके कृत्यों के दक्षतापूर्ण पालन के लिए आवश्यक हो.

(2) प्राधिकरण के प्रयोजन के लिए नियुक्त किए गए अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों को देय वेतन तथा भत्ते और अन्य निर्बन्धन तथा शर्तें ऐसी होगी जैसा कि विहित किया जाए.

व्यापार मेले का प्रबंध तथा नियंत्रण

6. जैसा ही राज्य सरकार द्वारा धारा 3 के अधीन प्राधिकरण का गठन कर दिया जाता है, ग्वालियर मेले का प्रबंध तथा नियंत्रण और ग्वालियर मेला समिति, जो प्राधिकरण के गठन के समय ग्वालियर मेला का प्रबंध कर रही है, की आस्तियां तथा दायित्व, यदि कोई हों, और उसके साथ उसकी समस्त निधियां, यदि कोई हों, प्राधिकरण को संक्रान्त हो जाएंगी तथा उसमें निहित हो जाएंगी.

प्राधिकरण द्वारा किराये का उद्ग्रहण

7. मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23, सन् 1956) या व्यापार मेला क्षेत्र में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्राधिकरण व्यापार मेला की कालावधि, जो कि राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित की जाएगी, के दौरान उक्त क्षेत्र में समाविष्ट

भूमि के लिए ऐसा किराया उद्गृहित कर सकेगा जैसा कि प्राधिकरण द्वारा राज्य सरकार के अनुमोदन से विरचित की जाने वाली उपविधियों में विनिर्दिष्ट किया जाए.

8. प्राधिकरण ऐसी फीस विहित कर सकेगा, जिसका भुगतान करने पर, और ऐसी शर्तें विहित कर सकेगा जिनके अध्यधीन रहते हुए किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के किसी वर्ग को इस बात के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा कि वह व्यापार मेला की कालावधि के दौरान व्यापार मेला क्षेत्र में किसी वृत्ति, व्यापार या आजीविका कर सकेगा. — अनुमति मंजुर करने की शक्ति

9. यदि किसी ऐसे अधिकारी का, जो प्राधिकरण द्वारा इस निमित्त विशेष रूप से सशक्त किया गया है, यह समाधान हो जाता है कि व्यापार मेला क्षेत्र में किसी स्टाल या जगह पर अधिभोग रखने वाला कोई व्यक्ति उस स्टाल या जगह पर अनाधिकृत अधिभोग रखे हुए है या यह अधिभोग रखने के प्राधिकार के समाप्त हो जाने पर भी स्टाल या जगह पर अधिभोग रखे हुए है, तो वह प्राधिकरण की पूर्व मंजूरी से, ऐसे व्यक्ति से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह ऐसे समय के भीतर जैसा अध्यपेक्षा में उल्लिखित किया जाए, स्टाल या जगह को खाली कर दे और ऐसा व्यक्ति, ऐसी शास्ति के अतिरिक्त, जिसका कि वह इस अधिनियम के अधीन दायी है, स्टाल या जगह से सक्षेपतः हटाया जा सकेगा. — व्यापार मेला क्षेत्र से व्यक्तियों को हटाने की शक्ति

10. (1) प्राधिकरण द्वारा वसूल किया गया समस्त धन या उसकी प्रोद्भूत हुई आय एक निधि में जमा की जाएगी, जिसका नाम "ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण निधि" होगा. — प्राधिकरण की निधि

(2) इस निधि का उपयोग व्यापार मेला के प्रयोजन से भिन्न किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा.

(3) इस निधि का धन ग्वालियर में स्थित या तो किसी अनुसूचित बैंक में या सहकारी बैंक में जमा किया जाएगा.

(4) इस निधि को प्राधिकरण के सचिव के या ऐसे अन्य अधिकारी के, जिसे इस निमित्त अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत किया जाए, हस्ताक्षर से चलाया जाएगा.

(5) प्राधिकरण समुचित लेखे तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों को

बनाए रखेगा और एक ऐसा वार्षिक लेखा विवरण तैयार करेगा जैसा कि विहित किया जाए.

(6) प्राधिकरण के लेखाओं की संपरीक्षा विहित रीति में की जाएगी.

11. प्राधिकरण पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान अपने क्रियाकलापों का पूर्ण विवरण देते हुए प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अपनी वार्षिक रिपोर्ट ऐसे प्रारूप में तथा ऐसी तारीख तक, जैसी कि विहित की जाए, तैयार करेगा और उसकी एक प्रति राज्य सरकार को अग्रेषित करेगा.

वार्षिक रिपोर्ट

12. कोई भी व्यक्ति जो, -

शास्तियां

(क) व्यापार मेला क्षेत्र के भीतर कोई अप्राधिकृत संनिर्माण करता है ; या

(ख) व्यापार मेला क्षेत्र के भीतर अप्राधिकृत रूप से किसी स्थान को शौचालय, मूत्रालय या कूड़ा-करकट जमा करने के रूप में प्रयोग करता है ; या

(ग) प्राधिकरण से अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त किए बिना मेला क्षेत्र के भीतर कोई वृत्ति, व्यापार या आजीविका करता है या ऐसी अनुज्ञप्ति की शर्तों को भंग करता है ; या

(घ) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों में से किसी उपबंध का उल्लंघन करता है ; या

(ङ.) इस अधिनियम के अधीन विधिपूर्वक लिखित में जारी किये गए किसी आदेश या निर्देशों का उल्लंघन करता है ;

तो वह दोषसिद्धि पर ऐसे जुर्माने से, जो पांच हजार रूपये तक का हो सकेगा, और जहां अपराध जारी रहने वाला हो या आवर्ती हो वहां ऐसे और जुर्माने से, जो प्रथम दोषसिद्धि की तारीख से ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान अपराधी का ऐसे अपराध में लगे रहना साबित हो, एक सौ रूपये तक हो सकेगा, दण्डनीय होगा.

13. प्राधिकरण के किसी सदस्य के विरूद्ध किसी ऐसे कार्य के लिए, जो ऐसे सदस्य के रूप में उसके द्वारा अपने कर्तव्यों के अनुपालन में सद्भावनापूर्वक किया गया है या जिसका सद्भावपूर्वक किया जाना तात्पर्यित है, कोई वाद नहीं लाया जाएगा या कोई

सदस्यों की इम्युनिटी

अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं की जाएंगी और न ही वह उक्त प्राधिकरण के किसी कार्य या कार्यलोप के लिए व्यक्तिगत रूप से दायी होगा.

14. प्राधिकरण सरकार के अनुमोदन से, समय-समय पर अपनी प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए या मेले के प्रबंध तथा नियंत्रण के लिए या मेले के संबंध में कोई फीस या अन्य प्रभार उद्गृहीत करने के लिए उपविधियां विरचित कर सकेगा.

उपविधियां विरचित करने की शक्ति

15. (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी.

नियम बनाने की शक्ति

(2) विशिष्टतः तथा पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं भी विषयों के संबंध में उपबंध हो सकेगें, अर्थात् :-

(क) अशासकीय सदस्यों को संदेय यात्रा तथा दैनिक भत्ता ;

(ख) अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों को देय वेतन तथा भत्ते और उनकी सेवा के अन्य निबंधन तथा शर्तें ;

(ग) मेला क्षेत्र में स्वच्छता ;

(घ) आग के लगने या उसके फैलने को रोकने के लिए सुरक्षा उपायों की व्यवस्था करना ;

(ङ.) व्यापार मेला क्षेत्र में स्थापित किए गए भवन तथा संरचनाओं की तथा मेले के अंदर लाई गई वस्तुओं की सुरक्षा के लिए व्यवस्था करना ;

(च) ऐसी शर्तें विहित करना, जिसके अध्यधीन रहते हुए मण्डपों (हट्स) और अन्य संरचनाओं का निर्माण किया जा सकेगा, जिनके अंतर्गत आता है ऐसे मण्डपों (हट्स) या संरचनाओं की ऊंचाई की सीमा निश्चत कर तथा वह क्षेत्र जिस पर उनका संनिर्माण किया जाएगा तथा उनके बीच की दूरी ;

(छ) खाना पकाने या किसी अन्य प्रयोजन के लिए आग के उपयोग को निबधित करना ;

(ज) अन्य कोई विषय जिसके विहित करने की अपेक्षा की जाए या जो विहित किया जाए

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, उसके बनाये जाने के पश्चात् यथासंभव शीघ्र, विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा.

16. इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख को तथा से कवाअद मेला व नुमायश, ग्वालियर, सन् 1934 ई. तथा इस विषय पर तत्समय प्रवृत्त कोई अन्य विधि निरसित हो जाएगी. निरसन